उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-150/2018/2240/92-2-2018-102(जॉच)/2017,
लखनऊ :: दिनांक:: 29 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर/विन्ध्यांचल-मिर्जापुर मण्डल में अधीक्षण अभियन्ता तथा कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ मे जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान अनावश्यक विस्तृत सूचनाएं मांगने तथा अमर्यादित आचरण एवं अनुशासनहीनता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-53/2018/400/92-2-2018-102(जांच)/2017, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा श्री ए0के0 गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल-विन्ध्यांचल-मिर्जापुर को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-जी-1236/ग्रा0अ0वि0/कैम्प-नि0मु0अ0/जांच-शि0शि0/2018-19, दिनांक 24.08.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की जांच आख्या दिनांक 24.08.2018 का शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री ए0के0 गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जांच अधिकारी को दिये गये बचाव उत्तर दिनांक 20.06.2018 एवं दिनांक 06.08.2018 में उन पर लगाये गये कुल-05 आरोपों से इतर अपने कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध आपत्तिजनक, असंयत एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, जो उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-3 सामान्य-(1) एवं (2) के विपरीत है। अतएव अपचारी अधिकारी श्री ए0के0 गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त अतिरिक्त आरोप पत्र दिये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्णकर जांच आख्या (दो प्रतियों में) निर्धारित समयावधि में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-150/2018/2240(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जॉच अधिकारी/ निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को शासन द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त आरोप पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित समयावधि में जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या उपलब्ध करायें।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (स्थापना-1), कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री ए0के0 गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल-विन्ध्यांचल-मिर्जापुर।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

ht p://shas nadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।